

प्रति,

शिव प्रकाश गुप्त,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,
शिक्षा केन्द्र-2, समुदाय केन्द्र,
प्रोग्रेस विहार, नई दिल्ली ।

शिक्षा 171 अनुभाग

संख्या: दिनांक: 11 जून, 2004

विषय:- सर बिलाल कन्वेंट स्कूल प्रेमनगर नीयर डाक बंगला बाईपास रोड, फिरोजाबाद को सी०बी०एस०ई० नईदिल्ली से संबद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुये मुझे यह बताने का निर्देश हुआ है कि उक्त संदर्भित विद्यालय को सी०बी०एस०ई० नईदिल्ली से संबद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबंधों के अधीन अनापत्ति नहीं है :-

- 1- विद्यालय की पंजीकृत सांसायकी का समय-समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा ।
- 2- विद्यालय की प्रबंध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा ।
- 3- विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/जनजाति के भेधावी बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उ०प्र० मा० शिक्षा परिषद द्वारा संयोजित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा ।
- 4- संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद अथवा केन्द्रीय शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की संबद्धता केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद/कॉन्वेंट फार दि इण्डियन स्कूल एटीफिसेट इकायमिंसन नईदिल्ली से प्राप्त होती है तो उस परीक्षा वर्ष से उका केन्द्रीय परिषदों की संबद्धता प्राप्त होने की तिथि से उ०प्र० मा० शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान सातः समाप्त हो जायेगा ।

द।

—2—

Principal
Sir Bilal Convent Sec. School
Firozabad

Principal
Sir Bilal Convent Sec. School
Firozabad

Manager
Sir Bilal Convent Sec. School
Firozabad
Manager
Sir Bilal Convent Sec. School
Firozabad

- 5- संस्था के शैक्षिक एवं शिक्षणोत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनभत्तों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनभान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे ।
- 6- कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायी जायेंगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों की अनुमन्य सेवा निवृत्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे ।
- 7- राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे संस्था उनका पालन करेगी ।
- 8- विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र/पंजिकाओं में रखा जायेगा ।
- 9- उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्द्धन नहीं किया जायेगा ।

उक्त प्रतिबंधों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबंधों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की वृद्ध या शिथिलता बरती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा ।

भवदीय,


। शिव प्रकाश गुप्त ।
संयुक्त सचिव ।


पुनःसंख्या एवं दिनांक तैव



प्रतिलिपि निम्नलिखित जों सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
- 2- मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, आगरा ।
- 3- जिला विद्यालय निरीक्षक, फिरोजाबाद ।
- 4- निरीक्षक, आंग्ल भारतीय विद्यालय, 30 प्रोन्नतखण्ड ।
- 5- प्रबंधक, सरविलास कान्वेंट स्कूल प्रेमनगर नीयर डाकबंगला बाइपास रोड, फिरोजाबाद ।
- 6- गार्ड बुक ।


Principal
Sir Bilal Convent Sec. School
Firozabad


Principal
Sir Bilal Convent Sec. School
Firozabad

आज्ञा से,

। शिव प्रकाश गुप्त ।
संयुक्त सचिव ।


Manager
Sir Bilal Convent Sec. School
Firozabad

Manager
Sir Bilal Convent Sec. School
Firozabad